राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष नं. 0141–2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/ग्रुप–8/वी.सी/2020 जयपुर, दिनांक :– 24/03/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

विभागीय आदेश दिनांक 17.03.2021 की पालना में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि. एवं पंरावि की अध्यक्षता में अजमेर संभाग के जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 19.03.2021 को सभागार, जिला परिषद अजमेर में आयोजित की गई। बैठक में सचिव ग्राविवि, अधीक्षण अभियंता ग्राविवि एवं अन्य योजनाओं के प्रतिनिधियों ने राज्य स्तर से भाग लिया। बैठक में योजनावार समीक्षा कर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

महात्मा गांधी नरेगाः–

- पूरा काम पूरा दाम अभियान के अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल प्रबंधन, समूह में काम मेट रोटेशन आदि की समीक्षा कर अधिक से अधिक कार्यस्थल के निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सभी जिलों को वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में 100 मानव दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की अधिकतम संख्या अर्जित करने हेतु प्रयास किये जावें।
- वर्ष 2017–18 व 2018–19 के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- विभिन्न कारणों से श्रमिकों के रिजेक्टेड भुगतान लम्बित होने को गम्भीरता से लेकर 31.03.2021 तक सभी लम्बित भुगतान सुनिश्चित किये जावे।
- पीएफएमएस प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान हेतु श्रमिकों के खाते सत्यापित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
- सभी जिलों को महिला मेट कम से कम 50 प्रतिशत नियोजित करने एवं मेट रोटेट करने हेतु निर्देशित किया गया।

जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षणः–

- जल ग्रहण परियोजनाओं एवं राजीव गांधी जल संचय योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित सभी मापदण्डों के अन्तर्गत सभी जिलों द्वारा ए व बी श्रेणी अर्जित की जावे।
- जल ग्रहण प्रबंधन तकनिकी की जानकारी जिले के सभी तकनीकि कार्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से दी जावे (कनिष्ठ तकनिकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, अधीशषी अभियंता)।
- बंद योजनाओं के बकाया समायोजन कर सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–20 के साथ अवशेष राशि संबंधित खातों में जमा करवाया जाने की सुनिश्चिता हेतु दिनांक **31.03.2021** निर्धारित की गई।

स्वच्छ भारत मिशनः–

- **LOB** एवं **NLOB** के लक्ष्यानुसार बकाया शौचालयों को पूर्ण करवा कर भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान कर आगाह किया गया कि 31.03.2021 के उपरांत कोई भी प्रकरण शेष रहने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही कर चार्जशीट जारी की जावेगी।
- संभाग के जिलों को पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जन सहभागिता से एसएलडब्ल्यूएम के कार्य स्वीकृत डीपीआर के अनुसार सम्पादित करवाये जाये।

राजीविकाः–

- राजीविका योजनाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से निर्देशों के उपरान्त भी समीक्ष नहीं किये जाने को गम्भीरता से लिया गया एवं संचालित गतिविधियों की अपने स्तर से माह में एक बार आवश्यक रूप से गहन समीक्षा हेतु बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- स्वयं सहायता समुह के गठन की प्रगति बैंक खाता खुलने पर ही अंकित की जावेगी। जिला स्तर से बैंक खाता खोलने व ऋण जारी होने की नियमित समीक्षा हेतु संभाग कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों के अतिरिक्त कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में हिस्सेदारी बढाये जाने के निर्देश दिये गये।

ग्रामीण विकास की योजनाऐंः–

- ग्रामीण विकास की योजनाओं यथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, एमजीजेवीवाय स्व–विवेक, सांसद आदर्श ग्राम की योजनावार समीक्षा की गयी। योजनाओं में उपलब्ध राशि के विरूद्ध संबंधित वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिये गये।
- प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण एवं पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीणः–

- आवास योजना में मौके पर कार्य पूर्ण करवाने के पश्चात भी संबंधित अधिकारी के निरीक्षण उपरान्त लाभार्थी को भुगतान में विलम्ब को गम्भीरता से लिया गया। लाभार्थी के खाते में भुगतान अविलम्ब करने हेतु निर्देशित किया गया।
- संभाग के जिलों को दैनिक समीक्षा कर 31.03.2021 तक शत–प्रतिशत आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31.03.2021 तक अजमेर जिले द्वारा 1500,

भीलवाडा जिले द्वारा 3000, नागौर जिले द्वारा 1000 एवं टोंक जिले द्वारा 3000 आवास पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया।

- शेष भूमिहीन परिवारों को पट्टे आवंटन, बकाया रिमाण्ड/स्वीकृति, बकाया अधार सिडिंग/जॉबकार्ड मेपिंग एवं मैसन प्रशिक्षण के अन्तर्गत लक्ष्यानुसार प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पूर्व निर्देशानुसार आवास पूर्ण करवाने हेतु टैग अधिकारी/आवास सहायकों का सहयोग लिया जावे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशनः–

- योजना के अन्तर्गत विभागवार कार्यो की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यानुसार प्रगति अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बायोफ्यूल, सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा के साथ पंचायती राज विभाग की नवीन भवन निर्माण लक्ष्यानुसार पूर्ण करने एवं अन्य योजनाओं की लक्ष्यानुसार प्रगति हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के.के. शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।
6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
7 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
8 जिला कलक्टर, अजमेर/टोंक/नागौर/भीलवाड़ा।
9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर/टोंक/नागौर/भीलवाड़ा।
12 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)